## न्यायालय:—न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०) (पीठासीन अधिकारी—धन कुमार कुड़ोपा)

<u>दांडिक प्रकरण कमांक—421 / 15</u> <u>संस्थापित दिनांक 27 / 07 / 2015</u> <u>फाईलिंग नं. 233504002732015</u>

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र, आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

### -: विरूद्ध:-

- 1. पवन पिता कुन्दन वनखेड़े, उम्र 20 वर्ष,
- 2. सोनू पिता नत्थू सुर्यवंशी, उम्र 23 वर्ष,
- 3. रवि पिता गणेश विश्वकर्मा, उम्र 23 वर्ष, उक्त तीनों—नि0ग्राम अंधारिया, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

<u>----अभियुक्तगण</u>

# <u>—: निर्णय :—</u> (<u>आज दिनांक—16 / 01 / 2017 को घोषित)</u>

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा—452, 294, 323/34 (दो बार) एवं (506 भाग—2) के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 06/06/15 समय 11:00 बजे करीब रात या उसके लगभग ग्राम अंधारिया प्रार्थीया का मकान, थाना आमला, जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत फरियादी सरीता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहित हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। आपने फरियादी को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया। आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरिता व राकेश को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी व आहत को हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। आपने फरियादी सरिता को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम अंधारिया में प्रकाश सोलंकी के मकान किराए से बच्चों के साथ रहती है उसका पित राकेश आटो चलाता है, नकुल बेडरे का बडा भाई राकेश कल शाम 7 बजे करीब पवन वानखेड़े से विवाद हुआ था, पवन भी जीप चलाता है उसी विवाद के चलते रात करीब 11 बजे पवन वानखेड़े उसके दोस्त सोनू सुर्यवंशी और रवि लौहार उसके खेत के सामने आकार खूब नंगी—नंगी मादर चोद, बहन चोद छिनाल कहकर तीनों ने गाली गलौच किया, गाली देने से मना किया तो घर के अंदर आ कर उसके साथ एवं उसके पति राकेश के साथ तीनों ने हाथ मुक्के लात से मारपीट किया और दरवाजे के कांच फोड दिया एवं जान से मारने की धमकी दिया, दांहिने हाथ कमर पर एवं जगह—जगह मूंदी चोट लगी है। पति राकेश को बांये हाथ, बांये पैर पीठ पर मूंदी चोट लगी है। गवाह विक्रम पटेल और मंगलू पवार ने बीच बचाव किया।

03— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र0पी0—1 है। अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक 318/15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भाठदंठविठ की धारा 294, 323,452 34, 506 भाग—2 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 09/06/15 को घटना का नक्शा मौका प्र0पी0—2 बनाया गया, फरियादी व आहत का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहां कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

#### 05- न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

- 1. "आपने आपने दिनांक 06/06/15 समय 11:00 बजे करीब रात या उसके लगभग ग्राम अंधारिया प्रार्थीया का मकान, थाना आमला जिला बैतूल म.प्र. के अंतर्गत फरियादी सरीता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरूद्ध करने की या उसे उपहित हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया?"
- 2. ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी और अन्य को क्षोभ कारित किया?''
- 3. ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरिता व राकेश को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी व आहत को हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की?''

4. ''उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?''

#### <u>—ः निष्कर्ष एवं उसके आधार :—</u> —ः विचारणीय प्रश्न कं. 01, 03 का निराकरण

07— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 6 में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि आरोपीगण घटना के समय तूफान गाड़ी से उसके घर के सामने आकर खड़े हुये शराब पीया बोतल फेंक दिया, यह बात उसने रिपोर्ट लिखाते समय एवं बयान देते समय पुलिस को बता दी थी। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं उसके पुलिस बयान प्र0डी0 1 में उक्त बात न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय यह बता दिया था कि आवाज दी गेट खोलो, सभी लोग घर के अंदर घुस गये थे, यह बात पुलिस को बता दी थी, यदि उक्त बात पुलिस कथन प्र0डी0 1 में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती।

08— आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने पुलिस को ऐसा नहीं बताया था कि घर के सामने आकर मादर चोद बहन चोद की गालियाँ बकने लगे, उसने तीनों को गाली देने से मना किया तो तीनों ने उसके साथ घर के अंदर आकर उसके साथ और उसके पित के साथ लात, हाथ, मुक्कों से मारपीट किया, यदि उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र0डी० 1 के अ से अ भाग पर उक्त बात लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि आरोपीगण आकर गाली गलीच की थी और वह घर के अंदर थी। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि घर के अंदर से कौन—कौन गाली बक रहा था, यह सुनना संभव नहीं है। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि वह गेट पर खड़ी थी।

09— आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने पुलिस को यह नहीं बताया था कि आरोपी पवन ने लकड़ी से मारा और सोनू ने उसकी कमर पकड़ लिया और रिव ने हाथ घुसे से मारपीट किया था जिससे उसके हाथ पैर सिर पर चोट आई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि घटना के पहले आरोपीगण ने उसके पित के साथ मारपीट किया था, यह सभी बात उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय और बयान देते समय बता दी थी। उक्त बात उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं प्र0डी0 1 में न लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि वह बेहोश हो गई थी, खून से लथ—पथ थी, पुलिस आई जब उसे हल्का होश आया।

10— आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि घटना के समय उसके पित घर पर नहीं थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि जब आरोपीगण घर पर थे उस समय उसके पित आ गये थे। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने रिपोर्ट लिखाते समय एवं पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि घटना दिनांक को ही आरोपीगण ने दो बार उसके पित को चौक पर एवं गांव में मारपीट किए थे, यदि उक्त बात उसके पुलिस रिपोर्ट एवं बयान में न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र0पी0 1 पढ़कर बताए जाने पर एवं उसके द्वारा स्वयं पढ़े जाने पर साक्षी का कहना है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट में उसके पित ने लिखाई, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट के बारे में उसके पित बता सकते है वह नहीं बता सकती। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0पी0 1 की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0पी0 ने की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0पी0 ने की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0पी0 ने की रिपोर्ट उसने नहीं लिखाई थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि प्र0पी0 ने घटना के संबंध में उसके बयान भी नहीं लिये थे।

11— इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा मुख्यपरीक्षा के तथ्यों से प्रतिपरीक्षा में लोप कराया गया है, किन्तु उक्त लोप से यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी सरिता एवं आहत राकेश के साथ मारपीट नहीं की। क्योंकि ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 एवं 161 द0प्र0सं0 के कथनों के साथ न्यायालयीन कथन एक जैसे हो और वह प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं धारा 161 द0प्र0सं0 के कथनों को न्यायालयीन कथन में स्पष्ट करें, एक स्वभाविक परिस्थिति होती है कि फरियादी या आहत यह चाहता है कि उसे अधिक से अधिक सजा मिले जिससे वह न्यायालयीन कथन में बढ़ा चढ़ाकर कथन करने के कारण उसके मुख्य परीक्षा के संपूर्ण कथनों को अविश्वनीय नहीं माना जा सकता।

12— बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी प्रस्तुत किया है कि अभियोजन साक्षी के न्यायालयीन साक्ष्य में तात्विक विरोधाभाष एवं लोप है। वे प्रकरण में आरोपीगण की भूमिका के संबंध में पृथक—पृथक रूप से बढ़ा चढ़ाकर कथन कर रहे है जिस कारण से इनका साक्ष्य विश्वसनीयता के अयोग्य है। बचाव पक्ष के तर्क के संबंध में न्यायालय का मत है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत भारत वर्ष में एक दृढ़ सिद्धांत के रूप में स्वीकृत नहीं है। शायद ही ऐसा कोई साक्षी हो जिसके कथन में असत्य का मिश्रण न हो और उसके द्वारा घटना का

बढ़ाचढ़ा कर वर्णन न किया गया हो। ग्रामीण परिवेश के साक्षी स्वभाविक तौर पर आरोपीगण को ज्यादा सजा दिलाने के उद्देश्य से घटना को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते है, परंतु इतने मात्र से उनके संपूर्ण साक्ष्य को अमान्य नहीं किया जा सकता। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सत्य—असत्य के मिश्रण में से सत्य भाग को अलग करें और उसके आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस प्रकार अभियोजन साक्षियों के कथनों में जो थोड़े बहुत विरोधाभाष है उस आधार पर उनका संपूर्ण साक्ष्य अमान्य नहीं किया जा सकता। न्यायालय के इस मत का समर्थन न्यायदृष्टांत अबदुल गनी विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 1954 एस.सी. 31 एवं न्यायदृष्टांत अशोक विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य 2008 एम.पी.एच.टी. 234 से भी होता है। अतः बचाव पक्ष को प्रस्तुत तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं।

13— माननीय उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टांत अगर अहीर और अन्य विरुद्ध बिहार राज्य 1965 सुप्रीम कोर्ट 277:— एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या न तो विधि का सुस्थापित सिद्धांत है और न ही प्रक्रिया। शायद ही ऐसा ही कोई साक्षी हो जिसके कथन में असत्य न हो और उसके द्वारा बढ़ा चढ़ा कर नमक मिर्च लगाकर या उसमें सजावट करके घटना का वर्णन न किया गया हो। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सत्य एवं असत्य के मिश्रण में से सत्य को अलग करें। इसी प्रकार का अभिमत् मान्नीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने एक अन्य न्याय दृश्टांत अब्दुल गनी विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1954 एस.सी.31 में स्पष्ट रूप से धारित किया है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह सच एवं झूठ में से सच को निकालने का प्रयास करें। न्यायालय को दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करना चाहिये, भूसे के ढेर से दाना निकालने जैसा प्रयास करना चाहिये, साक्ष्य में विरोधाभाष होने पर सम्पूर्ण साक्ष्य को नकारने का सरल तरीका नहीं अपनाना चाहिये। मान्नीय म0प्र0 उच्च न्यायालय ने भी अपने नवीनतम् न्यायदृष्टांत अशोक विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2008 एम.पी.एच.टी. 234 में भी न्यायालय के उपरोक्त मत का समर्थन किया है।

14— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 09 में व्यक्त किया है कि उसने 10 मई जो झगड़ा हुआ था उसकी रिपोर्ट की थी। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि केश की रिपोर्ट 6 जून 2015 की रिपोर्ट उसने नहीं की थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि दिनांक 06/06/15 को आरोपीगण ने कोई मारपीट व लड़ाई झगड़ा नहीं किया था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में किए गए स्वीकृत तथ्य अनुसार घटना दिनांक 06/06/15 को अभियुक्तगणों के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई, किन्तु उक्त तथ्य के कारण फरियादी सरिता एवं आहत राकेश के कथनों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। क्योंकि उक्त दोनों साक्षी घटना दिनांक 10/05/15 की होना बताया गया है। जबिक दोनों गवाह ग्रामीण परिवेश में निवास करते हैं, ऐसे ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह घटना की तारिख अपनी साक्ष्य में बताए। बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए है कि फरियादी या आहत राकेश एक शिक्षित व्यक्ति है जिससे यह अपेक्षा की जा सके कि जो घटना की तारिख बता रहा है वह सत्य रूप से अभिवचन कर रहा है।

15— जबिक फिरियादी सिरता ने अपनी मुख्यपरीक्षा में बताया है कि उन्होनें शराब पीकर बोतल वहीं फेंक दी और आवाज देने लगे कि गेट खोलो एक गेट खुला था तो सभी लोग घर के अंदर आ गये और मारपीट करने लगे, पवन ने पहले लकड़ी से मारा था तो उसने लकड़ी छुड़ाकर फेंका तो सोनू ने उसकी कमर पकड़ ली, रिव ने उसके साथ हाथ से मारपीट की थी। मारपीट से उसके हाथ और पैर पर चोट आई थी। आगे इस गवाह ने अपनी साक्ष्य में यह भी बताया है कि आरोपीगण घर में मारपीट कर रहे थे, तब उसके पित घर आ गये थे, तब फिर उसके पित के साथ मारपीट किए थे। उक्त तथ्यों का समर्थन अभियोजन साक्षी राकेश (अ0सा02) ने भी अपनी साक्ष्य से किया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उसके घर के सामने आकर खूब नंगी—नंगी मादर चोद बहन चोद छिनाल कहकर तीनों ने गालियाँ दिये, गाली देने से मना करने पर उसके साथ और उसके पित राकेश के साथ हाथ मुक्का लात से मारपीट किए। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 में घर के अंदर के घुसकर मारपीट करने के तथ्यों का उल्लेख है। अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित की।

16— उक्त तथ्यों से यह भी स्पष्ट होता है कि फरियादी सरिता के आधिपत्य के मकान जो कि मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपिहत कारित करने की तैयारी करके प्रवेश कर आहत सरिता एवं उसके पित राकेश के साथ मारपीट की। उक्त तथ्यों को अविश्वास किए जाने का कोई कारण उत्पन्न नहीं होता है और बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरींक्षा में ऐसे तथ्य नहीं लाए है कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के घर में घुसकर मारपीट नहीं की।

अभियोजन राकेश (अ०सा०२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके ह ार के सामने बैठे-बैठे शराब पी और उसके घर के सामने फोड दी और मां बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देते हुये उसके घर के अंदर घुस गये आरोपीगण ने उसके साथ लात मुक्कों से मारपीट शुरू कर दिये। उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षा में अखण्डित रहे। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना के समय घर के बाहर नहीं निकला था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण से दो दिन पहले से सवारी को लेकर विवाद चला था। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि सवारी का विवाद नहीं होता तो पुलिस में रिपोर्ट करने की नौबत नहीं आती। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा के तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में सवारी के विवाद को लेकर ही फरियादी सरिता एवं आहत राकेश के साथ मारपीट की और फरियादी सरिता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहति कारित करने के तैयारी के प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया। क्योंकि इस गवाह के द्वारा जो मुख्य परीक्षा में बताए गए तथ्य प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घर के बाहर नहीं निकला था। मारपीट के समय घर के अंदर ही था। अर्थात् अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी के आधिपत्य के मकान में उपहति कारित करने के तैयारी के प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

18— क्योंकि रंजिश एक दुधारी तलवार है, जो एक तरफ जहां अभियुक्तगण को झूठा फंसाने का आधार हो सकती है वहीं दूसरे तरफ अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने का हेतुक भी हो सकती है।

19— इस प्रकार जो पूर्व रंजिश सवारी को लेकर है, वह मारपीट करने के तथ्यों को स्पष्ट करती है। साथ ही डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०३) ने दिनांक 07/06/15 को आहत राकेश के चोट कं 1 बांये हथेली पर 6 गुणित 3 से०मी० आकर की सूजन एवं दर्द पाया था। इस चोट के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट कं० 2 बांयी जांघ पर 3 गुणित 2 से०मी० की सूजन पाई गई। चोट नं. 3 बांये पैर पर 2 गुणित 2 से०मी० आकार की सूजन पाई गई। उसके साथ उसे पीठ में दर्द भी था। सभी चोटें कड़े एवं बोथरे हथियार से 12 से 24 घंटे के अंदर पहुँचाई गई थी जो रिपोर्ट प्र०पी० 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसी प्रकार उक्त दिनांक को आहत सरिता के शरीर में चोट कं 1 सिर के दांहिने तरफ 2 गुणित 1 गुणित 1 से०मी० आकर का फटा हुआ घाव पाया गया। चोट नं. 2 दांहिनी अग्र भुजा पर 3 गुणित 3 से०मी० आकर की सूजन एवं दर्द पाया गया, उसके साथ साथ उसके पीठ एवं घुटने में दर्द था, चोट साधारण किस्म की थीं जो कड़े एवं बोथरे हथियार से 12 से 24 घंटे के अंदर पहुँचाई गई थी। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

20— इस प्रकार डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०३) के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में जो सुझाव दिया गया है जिसे गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दोनों आहतों को आई चोट लापरवाही पूर्वक मोटर साईकिल चलाते वक्त गिर जाये तो इस प्रकार की चोट आना संभव है। किन्तु उक्त सुझाव फरियादी सुनिता एवं आहत राकेश के प्रतिपरीक्षण में नहीं लाए गए है कि घटना दिनांक को घर के अंदर मोटर साईकिल चलाते वक्त दोनों आहत गिर गये हो, जिससे फरियादी सरिता एवं आहत राकेश को चोट कारित हुई। बल्कि फरियादी सरिता एवं आहत राकेश के मुख्यपरीक्षा प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं 161 द०प्र०स० के कथनों से यही स्पष्ट है कि अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में ही मारपीट की गई।

21— क्योंकि घटना दिनांक 06/06/15 की है और थाने पर सूचना 07/06/15 की है और डा0 एन0के0 रोहित (अ0सा03) ने 12 से 24 घंटे के अंदर की पहुँचाई गई होना बताया है, जो कि घटना के समय कारित हुई चोट की पुष्टि करती है।

22— अभियोजन साक्षी विक्रम (अ०सा०४) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घ । टना के समय वह मैदान जा रहा था कि उसने देखा कि राकेश के घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वहां से गाली गुप्तार की आवाज आ रही थी कौन किसके साथ मारपीट कर रहा था, उसने नहीं देखा था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि घटना के समय वह मैदान की ओर जा रहा था। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि घटना होते हुये उसने नहीं देखा। यह गवाह घटना के समय घ । र के बाहर था तो स्वभाविक ही फरियादी के घर के अंदर कौन किसको गाली गलीच कर रहा है, मारपीट कर रहा है वह नहीं देखा, किन्तु इस गवाह ने घर के अंदर गाली गुप्तार की आवाज को सुना है, जो कि घटना का मुख्य साक्षी माना

जा सकता है। क्योंकि इसने अभियुक्तगणों के द्वारा फरियादी सरिता के आधिपत्य के मकान में घर के अंदर से आवाज आते सुनी है, जो कि घटना घटित होने के तथ्यों स्पष्ट करती है।

23— अभियोजन साक्षी मंगलू (अ०सा०५) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

24— अभियोजन साक्षी डी०एस० पठारिया (अ०सा०६) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि फरियादी सरिता की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र०पी० 2 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 15/06/15 को आरोपी पवन, सोनू रिव को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०७ से प्र०पी० ७९ तक तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचना के दौरान फरियादी सरिता गवाह राकेश, मंगलू, विक्रम के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था जिसमें उसके मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में अस्वीकार किया है कि साक्षी मंगलू और विक्रम ने प्र०पी० 5 एवं प्र०पी० 6 के ए से ए भाग के बयान उसने नहीं दिया था। आगे यह भी अस्वीकार किया है कि उसने सरिताबाई और राकेश के बयान भी उसने उसके मन से लिख लिया था। अर्थात् इस गवाह के द्वारा साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। क्योंकि साक्षी फरियादी सरिता (अ०सा०1), राकेश (अ०सा०2) ने कथन देने के तथ्यों का समर्थन किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन किया है।

25— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सरीता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहित हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरिता व राकेश को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी व आहत को हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 व 3 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

#### विचारणीय प्रश्न कं 2 एवं 4 का निराकरण

26— अभियोजन साक्षी सिरताबाई (अ०सा०1) ने अपनी संपूर्ण साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी। साथ ही अभियोजन साक्षी राकेश (अ०सा०2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि मां बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देते हुये उसके घर के अंदर घुस गये। उक्त गालियाँ अश्लीलता प्रगट नहीं करती है क्योंकि मादर चोद बहन की गाली लोकाचार की भाषा में कहीं जाती है। उक्त गालियाँ को अश्लीलता नहीं माना जा सकता। इस प्रकार इस गवाह

की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा दी गई गालियाँ अश्लीलता प्रगट करती हो, जिसके कारण फरियादी को क्षोभ कारित हुआ हो। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कुं 2 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

27— अभियोजन साक्षी सिरता (अ०सा०1) ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह नहीं बताया है कि उसे किस प्रकार की धमकी दी। अभियोजन साक्षी राकेश (अ०सा०2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। लेकिन उक्त गवाह की साक्ष्य से आगे यह प्रगट नहीं है कि उक्त धमकी का प्रभाव फिरयादी पर पड़ा हो, इस प्रकार के भी कोई तथ्य नहीं है जिनसे यह प्रगट नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा दी गई धमकी वास्तविक थी आपराधिक अभित्रास के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए शाब्दिक धमकी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार के तथ्य व पिरिस्थिति प्रकट होने चाहिए जिससे यह आशय निकले की अभियुक्तगण की धमकी वास्तविक थी और फिरयादी उस धमकी से प्रभावित हुआ था और उस धमकी का असर उस पर पड़ा और उसके मन में यह आंशका उत्पन्न हो गई कि अभियुक्तगण उसकी जान के लिए खतरनाक कोई आपराधिक कृत्य कर सकता है। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य से धारा 506 भाग—2 के लिए आवश्यक तथ्य प्रमाणित नहीं होते है। उक्तानुसार विचारणीय प्रश्न कं 4 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

28— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने फरियादी सरीता के आधिपत्य के मकान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, में उपहित कारित करने की या उस पर हमला करने की या उसे सदोष अवरुद्ध करने की या उसे उपहित हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी सरिता व राकेश को स्वेच्छया उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में सह अभियुक्तगण ने फरियादी व आहत को हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित करित की। इस प्रकार अभियुक्तगण पवन, सोनू रिव को भा0द0वि0 की धारा 452, 323/34(दो बार) का अपराध प्रमाणित होने से दोषसिद्ध किया जाता है।

29— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को मां बहन की अश्लील गालियाँ देकर उसे एवं दूसरों को क्षोभ कारित किया। उपर्युक्त अभियोजन पक्ष केद्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण पवन, सोनू, रिव ने भा0द0वि0 की धारा—294 एवं 506 भाग—2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतू स्थगित किया गया)

- 30— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री के०एल० सोलंकी ने व्यक्त किया कि अभियुक्तगण प्रथम अपराधी है और मजदूरी पेशा व्यक्ति है। अभियुक्तगण के जेल जाने से उनके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उन्हें अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री रघुवंशी के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।
- 31— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्तगण को भा0द0वि० की धारा—452, 323/34(दो बार) के अपराध में दोषसिद्ध किया है। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी सरीता के आधिपत्य के मकान में उसे उपहित हमला या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके प्रवेश कर गृह अतिचार किया, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है और अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी सरिता व राकेश को सामान्य आशय के अग्रशरण में हाथ मुक्के व लात से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की गई, उक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण को कारावास के साथ अर्थदण्ड से दंडित किए जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। इस कारण भा0द0वि० की धारा 452, 323/34(दो बार) के अपराध में दंडित किया जा रहा है। अतः निम्न तालिका अनुसार अभियुक्तगण को कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।

कं	अभियुक्तगण	धारा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यति— कम में साधारण कारावास
1.	पवन,सोनू, रवि	452 भा.द. वि.	प्रत्येक अभियुक्तगण को 2–2 (दो–दो) वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 / –, 500 / –रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है।	के व्यतिक्रम पर क्रमशः 2–2 (दो–दो) माह का साधारण कारावास पृथक से
2.	पवन, सोनू, रवि	(दो बार)	प्रत्येक अभियुक्तगण को आहत, सरिता, राकेश के प्रति 1–1 (एक–एक) वर्ष का सश्रम कारावास से भुगताई जावे।	

- 32— प्रकरण में दी गई सश्रम कारावास की सजा साथ—साथ भुगताई जावे। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर पृथक से भुगताई जावे। यदि अभियुक्तगण रिमाण्ड व प्रकरण के विचारण के दौरान उपजेल मुलताई में निरुद्ध रहे हों तो उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत मुजरा की जावे।
- 33— द.प्र.सं. की धारा 357(3) के अंतर्गत अर्थदण्ड की कुल राशि 1500 / —(एक हजार पांच सौ) रूपये में से क्षतिपूर्ति स्वरूप फरियादी सरिता को क्षतिपूर्ति राशि 500 / —( पांच सौ) रूपये एवं आहत राकेश को क्षतिपूर्ति राशि

500 / - (पांच सौ) रूपये प्रदान किया जावे और शेष राशि राजसात की जावे।
34- दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 313 के पूर्व प्रस्तुत जमानत, मुचलके भारमुक्त किये जावे।
35- प्रकरण में जप्त शुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।
निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुड़ोपा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, जिला बैतूल म०प्र0